"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 215] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 13 सितम्बर 2005—भाद्र 22, शक 1927.

विधि एवं विधायी कार्य विभाग

रायपुर, दिनांक 13 सितम्बर 2005

आदेश

क्रमांक 7316/2085/21-ब (छ. ग.) 2005.—दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (क्र. 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा श्री गेंदलाल डिन्डोरे, अधिवक्ता, मुंगेली जिला बिलासपुर को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 1 वर्ष तक की परिवीक्षा अवधि के लिये नियमित न्यायालय मुंगेली के लिये अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

किसी भी पक्ष द्वारा 1 माह का नोटिस देकर यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. सामन्त रे, उप-सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.